समक्ष विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

परिवाद संख्या–44 / 2023

उपस्थित–श्री कीर्ति प्रसाद भट्ट (न्यायिक सदस्य)
श्री एनके जोशी (तकनीकी सदस्य)
श्री विपिन बनियाल (उपभोक्ता सदस्य)

परिवादी–कमल सिंह पुत्र श्री करण सिंह, ग्राम किशनपुर, पोस्ट ऑफिस, मानपुर, भटवाड़ी, उत्तरकाशी।

बनाम

विपक्षी– अधिशासी अभियंता, विद्युत वितरण खंड, उत्तरकाशी।

परिवाद प्रस्तुति का दिनांक–11 / 07 / 2023
निर्णय का दिनांक– 08 / 09 / 2023 ✓

निर्णय

परिवादी कमल सिंह पुत्र श्री करण सिंह, ग्राम किशनपुर, पोस्ट ऑफिस, मानपुर, भटवाड़ी, उत्तरकाशी का प्रार्थना पत्र दिनांक 11 / 07 / 2023 को उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच, उत्तरकाशी को प्राप्त हुआ, जो कि संयोजन संख्या यूके11321015808 की बिलिंग से संबंधित है। प्रार्थनापत्र में परिवादी का कहना है कि विपक्षी विभाग द्वारा उन्हें जो बिल दिया गया है, वह खपत की तुलना में अत्याधिक है। परिवादी ने मंच से अनुरोध किया है कि इस बिल में संशोधन किया जाए।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर वाद दर्ज करते हुए मंच द्वारा विपक्षी विभाग को पत्रांक 112 / 2023 / विउशिनिमंउका फोरम / दिनांक

Kirti Prasad 08/09/23
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी।

तकनीकी सदस्य

उपभोक्ता सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत

12/07/2023 के मार्फत नोटिस दिया गया और दिनांक–17/07/2023 को आख्या प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। विपक्षी विभाग की ओर से पत्रांक–522/विविउखउ/दिनांक–10/07/2023 के मार्फत आख्या मंच के सम्मुख पेश की गई। इसमें विपक्षी विभाग ने अवगत कराया है कि उक्त संयोजन दिनांक–28/02/2006 को निर्गत किया गया था, जिसमें अब तक उपभोक्ता द्वारा दिनांक–06/03/2018 को मात्र रूपये 10,000 (दस हजार) जमा किए गए, जबकि माह 05/2023 में अवशेष बीजक धनराशि रूपये 25,682 (पच्चीस हजार छह सौ बयासी) है। उपभोक्ता का उक्त बिल सही प्रतीत हो रहा है।

इस परिवाद की सुनवाई दिनांक–31/07/2023, 14/08/2023 और 28/08/2023 को की गई। परिवादी ने फोन पर पक्ष रखा और अपने परिवाद की पैरवी स्वयं की, जबकि विपक्षी विभाग की ओर एसडीसी विनोद चौहान उपस्थित हुए और विभाग का पक्ष रखा। दिनांक–31/07/2023 को हुई सुनवाई के दौरान मंच द्वारा विभाग की आख्या का अवलोकन करने के पश्चात इसमें अपनाई गई बिलिंग प्रक्रिया को **माननीय उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी सामान्य आपूर्ति शर्तों के बिंदु–4 का उल्लंघन करार दिया गया।** मंच ने विपक्षी विभाग से कहा कि दिनांक–16/09/2010 से लेकर दिनांक–09/01/2021 तक परिवादी के समस्त बिल आईडीएफ के बनाए गए हैं, **जबकि माननीय उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी सामान्य आपूर्ति शर्तों के बिंदु–4 में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि दो बिलिंग चक्रों से ज्यादा आईडीएफ, एडीएफ, आरडीएफ के बिल जारी करने का अनुज्ञापी को अधिकार नहीं है। माननीय आयोग की टैरिफ आर्डर में दी गई सामान्य आपूर्ति शर्तों के बिंदु–4 में निम्नलिखित व्यवस्था दी गई है।**

4–त्रुटिपूर्ण मीटर (एडीएफ/आईडीएफ), मीटर नहीं पढ़ा/पहुंच नहीं (एनए/एनआर) तथा त्रुटिपूर्ण रीडिंग (आरडीएफ) के मामले में बिलिंग–

–एनए/एनआर मामलों में ऊर्जा उपभोग का निर्धारण तथा बिलिंग पिछले एक वर्ष के औसत उपभोग के अनुसार किया जाएगा (विद्युत आपूर्ति संहिता के अनुसार) जो कि वास्तविक रीडिंग लिए जाने पर समायोजन के अधीन

उपभोक्ता सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत

तकनीकी सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

08/09/23
न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

होगा। ऐसी अनंतिम रीडिंग एक बार में दो बिलिंग चक्रों से अधिक के लिए जारी नहीं रहेगी। इसके पश्चात अनुज्ञापी को अनंतिम आधार पर कोई बिल जारी करने का अधिकार नहीं होगा। त्रुटिपूर्ण प्रतीत अवस्था (एडीएफ), त्रुटिपूर्ण मीटर (आईडीएफ) तथा त्रुटिपूर्ण रीडिंग (आरडीएफ) के मामलों में उपभोक्ताओं की बिलिंग, मीटर के त्रुटिपूर्ण पाए जाने या त्रुटिपूर्ण रिपोर्ट किए जाने की तिथि से ठीक पहले के तीन बिलिंग चक्रों के औसत उपभोग के आधार पर की जाएगी (विद्युत आपूर्ति संहिता के अनुसार)। ये प्रभार केवल उस अधिकतम तीन महीने की अवधि अथवा द्विमासिक बिलिंग की दशा में दो बिलिंग साईकिल हेतु उदग्रहणीय होंगे, जिसमें अनुज्ञापी द्वारा त्रुटिपूर्ण मीटर बदला जाना आवश्यक होगा। इसके पश्चात अनुज्ञापी को सही किए गए मीटर के बिना बिल जारी करने का अधिकार नहीं है। **इस विषय में माननीय उत्तराखंड विद्युत लोकपाल के निर्णय 26/2018 दिनांक 15/10/2018 (श्री विवेक शील बनाम एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, विद्युत वितरण खंड अर्बन उत्तराखंड पावर कारपोरेशन हरिद्वार) का संदर्भ लेना भी उचित होगा।**

दिनांक–31/07/2023 की सुनवाई के दौरान मंच द्वारा विपक्षी विभाग को आदेशित किया गया कि वह आईडीएफ मीटर की बिलिंग के संबंध में माननीय आयोग द्वारा दी गई उपरोक्त व्यवस्था के अनुरूप संशोधित बिल की गणना प्रस्तुत करे। दिनांक–28/08/2023 की सुनवाई के दौरान विपक्षी विभाग द्वारा मंच के आदेशानुसार संशोधित बिल की गणना प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि परिवादी का संशोधित बिल रूपये 3519 (तीन हजार पांच सौ उन्नीस) का बना है। उभय पक्षों को सुनने और तथ्यों के अवलोकन के बाद मंच ने पाया कि विपक्षी विभाग द्वारा परिवादी का संशोधित और सही बिल बना दिया गया है और शिकायत निस्तारित कर ली गई है।

उपभोक्ता सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

तकनीकी सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

08109123

न्यायिक सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

आदेश

परिवादी का परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी विभाग को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार संशोधित बिल परिवादी को उपलब्ध कराए। अनुपालन आख्या 30 दिवस के भीतर मंच के सम्मुख उपलब्ध कराई जाए। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बडसमैन, 80 वसंत विहार देहरादून में अपील कर सकता है। दोनों पक्ष अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

8/9/23

विपिन बनियाल
उपभोक्ता सदस्य

उपभोक्ता सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

8/9/2023

एनके जोशी
तकनीकी सदस्य

तकनीकी सदस्य

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी

08/09/23

कीर्ति प्रसाद भट्ट
न्यायिक सदस्य

न्यायिक सदस्य
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच उत्तरकाशी